संख्या-8/2016/960/22-2-2015-17(192)/2015

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 मार्च, 2016

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्व बन्दी गेंदालाल पुत्र श्री डोरूलाल निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42090/पर-3(एम-11-09-2015) दिनांक-23-09-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी गेंदालाल पुत्र श्री डोरूलाल, निवासी ग्राम-बहबलपुर, थाना-कम्पिल, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। दोनों पक्षों के मध्य चल रही रंजिश एवं विवाद के कारण बन्दी ने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 09-06-1990 को रनवीर सिंह के घर में घुसकर बन्दूक से फायर किया तथा उसे थोड़ी दूर लेजाकर गोलीमार कर हत्या कर दी एवं दोनों पैर पकड़ कर चीड़ डाला। मृतक का सिर काटकर लाश सूखी लकडियों पर रखकर आग लगा दी जिससे लाश जलकर झुलस गयी और कटे हुए सिर को लेकर नदी की ओर भाग गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी त्र परीक्षण संख्या-346/1990 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 302, 201 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 04-10-1999 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25-08-2015 तक 15 वर्ष 08 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 06 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक, बन्दी के 06 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट, की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 25-02-2014 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी गेंदालाल पुत्र श्री डोरूलाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि गेंदालाल (बन्दी संख्या-16713) पुत्र श्री डोरूलाल निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-961/(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फर्रूखाबाद ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-960@22-2-2015-17(191)/2015
दिनांक 04 मार्च, 2016 का संलग्नक
सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध गेंदालाल (बन्दी संख्या-16713) पुत्र श्री डोरूलाल निवासी ग्राम-बहबलपुर, थाना-कम्पिल, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। दोनों पक्षों के मध्य चल रही रंजिश एवं विवाद के कारण बन्दी ने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 09-06-1990 को रनवीर सिंह के घर में घुसकर बन्दूक से फायर किया तथा उसे थोड़ी दूर लेजाकर गोलीमार कर हत्या कर दी एवं दोनों पैर पकड़ कर चीड़ डाला। मृतक का सिर काटकर लाश सूखी लकडियों पर रखकर आग लगा दी जिससे लाश जलकर झुलस गयी और कटे हुए सिर को लेकर नदी की ओर भाग गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी त्र परीक्षण संख्या-346/1990 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 302, 201 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 04-10-1999 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25-08-2015 तक 15 वर्ष 08 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 06 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक, बन्दी के 06 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट, की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 25-02-2014 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी गेंदालाल पुत्र श्री डोरूलाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in